सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 36/2017

1. पृथ्वीराज पुत्र खींवसीराम जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुलतान पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत तताररसर तहसील श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तताररसर
2. ओमकार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व पट्टा दिनांक 23.06.1996 जो कि गांव 31 जीजी तताररसर के चौंक की जगह का अहाता सख्या 495 अंकित कर गलत तौर से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया है का रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा निरस्त करने के सम्बन्ध में।

उपस्थित :–

1. श्री कुलवन्त सिंह सन्धू अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 18.07.2018

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' ग्रांम पंचायत तताररसर द्वारा दिनांक 23.06.2018 को जो भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर चौंक की जगह का पट्टा अप्रार्थी सख्या 02 के नाम जारी किया गया है जिसकी नकल शामिल है गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तीनीय है। जिस जगह का पट्टा भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर जारी किया गया है वह वास्तव में गांव तताररसर के चौंक की जगह है जैसा कि गांव तताररसर की आबादी के नक्शा का अवलोकन करने से ही स्पष्ट हो जाता है। सन् 1975 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा सभी पंचायतों को लिखित में यह आदेश दिये गये थे कि कोई भी सरपंच ग्राम पंचायत किसी गांव की आबादी के गुवाड (चौंक) की जगह का किसी प्रकार से कोई पट्टा जारी ना करें। मगर अप्रार्थी सख्या 02 के नाम पट्टा जारी करते समय जिलाधीश के उपरोक्त आदेशों की स्पष्ट तौर से अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि की जगह को नीलामी आम द्वारा विक्रय करने का ही अधिकार हासिल है, किसी चौंक की जगह का पट्टा जारी करने का ना तो किसी प्रकार से अधिकार क्षेत्र रहा है। इसके अलावा अप्रार्थी सख्या 02 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 23.06.1996 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह निःशुल्क जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से कोई निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव 31 जीजी तताररसर की आबादी के भू–खण्ड सख्या 398 का पट्टा दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

28.01.1964 को जो शांति देवी के नाम जारी किया गया कि पुश्त पर जो भू–खण्ड सख्या 398 का नक्शा बनाया गया है के उतर में चौंक दर्शाया हुआ है, पट्टा की नकल शामिल है। इस प्रकार यदि भू–खण्ड 398 के उतर में भू–खण्ड सख्या 495 वास्तव में होता तो भू–खण्ड सख्या 398 के पट्टा में पुश्त पर दर्शाये गये नक्शा में उत्तर दिशा में चौंक का दिखाकर भू–खण्ड संख्या 495 दिखाया गया होता जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच ने कोई कूटरचित रिकॉर्ड बनाकर अथवा नक्शा में कांट छांट करके अप्रार्थी सख्या 02 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियम से भू–खण्ड सख्या 495 जो कि वास्तव में चौंक की जगह है, यदि भू–खण्ड सख्या 398 के उतरी भाग की कुछ जगह को काटकर भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर पट्टा जारी किया गया है तो भी कानूनन गलत है क्योंकि एक भू–खण्ड का पट्टा जारी होते हुए उसकी कुछ जगह को काटकर नया भू–खण्ड दर्ज कर जारी किया गया पट्टा शुरू से कानूनन भी शून्य है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ना तो इसमें ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव सख्या व दिनांक अंकित है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि ना तो ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग हुई, ना ही प्रस्ताव पाया गया तथा ना ही निःशुल्क पट्टा जारी करने का पंचायत के मेम्बररान द्वारा तय किया गया। इस प्रकार पट्टा गलत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में कथित पट्टा सख्या 495 जो कि चौंक की जगह है का जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनाई गई ना ही कोई आपत्ति सूचना जारी की गई तथा ना ही पंचायत भवन पर कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई तथा ना ही किसी समाचार–पत्र में कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित करवायी गई। इस निगरानीकर्तागण को अथवा ग्राम के अन्य निवासियों को सुनवाई का तथा आपत्ति पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया बल्कि चुपचार मिलीभगत करके फर्जकारी करके गलत पट्टा जारी किया गया/करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 गांव के चौंक कीक जगह में गलत निर्माण करवाना चाहता है जबकि निगरानीकर्ता सख्या 02 का पुराना मकान इसी चौंक में खुलता हुआ है, यदि गलत निर्माण किया तो चौंक की जगह समाप्त होगी तथा निगरानीकर्तागण व अन्य नागरिकों को चौंक के उपयोग से वंचित होना पडेगा, गांव की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, आवागमन में बाधा पैदा होगी, हवा, रोशनी आदि में भी बाधा पैदा होगी। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा चौंक की जगह में गलत निर्माण करवाने की कोशिश करने पर गत माह निगरानीकर्तागण को कथित पट्टा की जानकारी हुई जिस पर निगरानी बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा दिनांक 23.06.1996 जो कि चौंक की जगह का भू–खण्ड 495 अंकित कर जारी किया गया है को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्रांम पंचायत ततारसर द्वारा दिनांक 23.06.2018 को जो भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर चौंक की जगह का पट्टा अप्रार्थी सख्या 02 के नाम जारी किया गया है जिसकी नकल शामिल है गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तीनीय है। जिस जगह का पट्टा भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर जारी किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

गया है वह वास्तव में गांव ततारसर के चौंक की जगह है जैसा कि गांव ततारसर की आबादी के नक्शा का अवलोकन करने से ही स्पष्ट हो जाता है। सन् 1975 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा सभी पंचायतों को लिखित में यह आदेश दिये गये थे कि कोई भी सरपंच ग्राम पंचायत किसी गांव की आबादी के गुवाड (चौंक) की जगह का किसी प्रकार से कोई पट्टा जारी ना करें। मगर अप्रार्थी सख्या 02 के नाम पट्टा जारी करते समय जिलाधीश के उपरोक्त आदेशों की स्पष्ट तौर से अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि की जगह को नीलामी आम द्वारा विक्रय करने का ही अधिकार हासिल है, किसी चौंक की जगह का पट्टा जारी करने का ना तो किसी प्रकार से अधिकार क्षेत्र रहा है। इसके अलावा अप्रार्थी सख्या 02 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 23.06.1996 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह निःशुल्क जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से कोई निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव 31 जीजी ततारसर की आबादी के भू–खण्ड सख्या 398 का पट्टा दिनांक 28.01.1964 को जो शांति देवी के नाम जारी किया गया कि पुश्त पर जो भू–खण्ड सख्या 398 का नक्शा बनाया गया है के उतर में चौंक दर्शाया हुआ है, पट्टा की नकल शामिल है। इस प्रकार यदि भू–खण्ड 398 के उतर में भू–खण्ड सख्या 495 वास्तव में होता तो भू–खण्ड सख्या 398 के पट्टा में पुश्त पर दर्शाये गये नक्शा में उत्तर दिशा में चौंक का दिखाकर भू–खण्ड संख्या 495 दिखाया गया होता जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच ने कोई कूटरचित रिकॉर्ड बनाकर अथवा नक्शा में कांट छांट करके अप्रार्थी सख्या 02 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियम से भू–खण्ड सख्या 495 जो कि वास्तव में चौंक की जगह है, यदि भू–खण्ड सख्या 398 के उतरी भाग की कुछ जगह को काटकर भू–खण्ड सख्या 495 दर्ज कर पट्टा जारी किया गया है तो भी कानूनन गलत है क्योंकि एक भू–खण्ड का पट्टा जारी होते हुए उसकी कुछ जगह को काटकर नया भू–खण्ड दर्ज कर जारी किया गया पट्टा शुरू से कानूनन भी शून्य है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ना तो इसमें ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव सख्या व दिनांक अंकित है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि ना तो ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग हुई, ना ही प्रस्ताव पाया गया तथा ना ही निःशुल्क पट्टा जारी करने का पंचायत के मेम्बररान द्वारा तय किया गया। इस प्रकार पट्टा गलत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में कथित पट्टा सख्या 495 जो कि चौंक की जगह है का जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनाई गई ना ही कोई आपत्ति सूचना जारी की गई तथा ना ही पंचायत भवन पर कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई तथा ना ही किसी समाचार–पत्र में कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित करवायी गई। इस निगरानीकर्तागण को अथवा ग्राम के अन्य निवासियों को सुनवाई का तथा आपत्ति पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया बल्कि चुपचार मिलीभगत करके फर्जकारी करके गलत पट्टा जारी किया गया/करवाया गया है। लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा दिनांक 23.06.1996 जो कि चौंक की जगह का भू–खण्ड 495 अंकित कर जारी किया गया है को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी प्रकरण में आबादी ततारसर का रिकॉर्ड दिनांक 28.01.1964 में पट्टा के सम्बन्ध में पत्रावली अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत नहीं की है जिसके अभाव में मै बहस नही कर सकता है। रिकॉर्ड मंगवाया गया। जो ग्राम पंचायत ततारसर के पत्रांक दिनांक 18.07.2018 से प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया गया। उनकी बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत ततारसर द्वारा जो रेकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है , उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत् प्रकिया अपनाकर पट्टा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। तत्समय नवीन प्रभावी/प्रचलित पंचायत राज नियम 1996 के तहत निगरानीधीन पट्टे को जारी करने के लिए आवेदक की पात्रता जांच , मौका जांच एवं सम्पूर्ण प्रकिया का अभाव पाया गया। इससे सम्बन्धित अहम अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है जो कि सचिव ग्राम पंचायत ततारसर की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत के आबादी नक्शे के अवलोकन से निगरानीधीन पट्टे वाले अहाते की हदूदों से स्पष्ट है कि यह जगह सार्वजनिक चौंक की है जिसका व्ययन ग्राम पंचायत नियमानुसार नहीं कर सकती। पट्टा जिस प्रारूप में प्रदत किया गया है वह निरसित हो चुके पुराने कानून/ नियम पंचायत एक्ट 1953 की धारा 87 के उपबंधो के हवाले से दिया जाना अंकित किया है जो स्वतः संदिग्ध है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि की जगह को नीलामी आम द्वारा विक्रय करने का ही अधिकार हासिल है। सार्वजनिक चौंक की जगह का पट्टा जारी करने का नियमानुसार किसी प्रकार से अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थी सख्या 02 के हक में जारी किये गये पट्टे दिनांक 23.06.1996 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह निःशुल्क जारी किया गया है जिसके सम्बन्ध में आवेदक की पात्रता की श्रेणी का कोई अंकन नहीं किया गया। आवेदक जाट जाति से है जो पात्रता भी नहीं रखता। आबादी के नक्शे का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि हइसमें 495 नम्बर भूखण्ड (अहाता) का अंकन /मार्किंग मय स्पष्ट माप नहीं है। केवल 495 काली स्याही से बिना भूखण्ड की साईज से आबद्व अंकन है जो चौंक की जगह पर है। पट्टे की पूर्ति संख्या 08 की पालना भी अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा पट्टा निरस्ती के दायित्वाधीन ही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत पट्टा जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 02 ओमकार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ततारसर को जारी निगरानीधीन पट्टा सख्या 33 दिनांक 23.06.1996 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर